न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सोनल पारीख, R.J.S.

नियमित आपराधिक प्रकरण सं. – 439/2015
सीआईएस नं0 – 2443/2015
सीएनआर नं० – RJSK140007012015

राजस्थान राज्य **बनाम** सुमन उर्फ संतोष

अपराध अन्तर्गत धारा 417 विकल्प में धारा 420, 468, 471, 193 भा०दं०सं० एवं धारा 125 क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

भाग– प्रथम

A

परिवादिया	रोशनी देवी
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्ता का नाम व पता	**सुमन उर्फ संतोष पत्नी महेश कुमार उम्र 30 वर्ष निवासी पालड़ी थाना बलारां जिला सीकर**
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता	श्री जसवंत भूरिया

B

अपराध की दिनांक	17.01.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	04.04.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	16.10.2015
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	09.02.2021
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	28.09.2021
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	17.03.2026
निर्णय दिनांक	17.03.2026
दोषमुक्ति की दिनांक	17.03.2026

C

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि

01	सुमन उर्फ संतोष	–	–	417 विकल्प में धारा 420, 468, 471, 193 भा०दं०सं० एवं धारा 125 क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम	दोषमुक्त	दोषमुक्त	–

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी०ड० 1	रोशनी देवी	परिवादिया
पी०ड० 2	विनोद कुमार	अन्य गवाह
पी०ड० 3	राजेश कुमार	अन्य गवाह
पी०ड० 4	इन्द्रकंवर	अन्य गवाह
पी०ड० 5	सुशीला	अन्य गवाह
पी०ड० 6	भंवरसिंह	अन्य गवाह
पी०ड० 7	सवाईराम	अन्य गवाह
पी०ड० 8	बाबुलाल	अन्य गवाह
पी०ड० 9	महेश कुमार	अन्य गवाह
पी०ड० 10	बाबुलाल	अन्य गवाह
पी०ड० 11	महावीर	अन्य गवाह
पी०ड० 12	रणवीर	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण
प्रदर्श पी. 1	परिवाद
प्रदर्श पी. 2	शपथ पत्र रोशनी देवी
प्रदर्श पी. 3	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
प्रदर्श पी. 4	जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर का आदेश
प्रदर्श पी. 5	कुमारी सुमन की टी.सी. की प्रति
प्रदर्श पी. 6	ई–चालान
प्रदर्श पी. 7	पुलिस बयान रोशनी देवी
प्रदर्श पी. 8	पुलिस बयान विनोद कुमार
प्रदर्श पी. 9	पुलिस बयान राजेश
प्रदर्श पी. 10	पुलिस बयान भंवरसिंह
प्रदर्श पी. 10	आवेदन थानाधिकारी, थाना बलारां दिनांकित 21.04.2015
प्रदर्श पी. 11	आवेदन राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिंहासन
प्रदर्श पी. 12	प्रेस नोट
प्रदर्श पी. 13	मूल टी.सी. कुमारी सुमन
प्रदर्श पी. 14	प्ररूप–7
प्रदर्श पी. 15	विजेता सीट की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श पी. 16	सही पाये गये फार्मों की सूची
प्रदर्श पी. 17	प्ररूप–5
प्रदर्श पी. 18	नाम निर्देशन पत्र
प्रदर्श पी. 19	स्वघोषणा
प्रदर्श पी. 20	कुमारी सुमन की टी.सी. की प्रति
प्रदर्श पी. 21	पहचान पत्र सुमन देवी
प्रदर्श पी. 22	जाति प्रमाण पत्र सुमन देवी
प्रदर्श पी. 23	परिवार राशन कार्ड मोहनलाल
प्रदर्श पी. 24	पोलिंग पार्टी सूची

प्रदर्श पी. 25	पुलिस बयान सवाईराम
प्रदर्श पी. 26	फर्द जप्ती असल पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा प्रमाण पत्र
प्रदर्श पी. 27	पुलिस बयान महावीर प्रसाद
प्रदर्श पी. 28	चाक एफ.आई.आर.

ब–बचाव प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण
प्रदर्श डी. 1	पुलिस बयान सुशीला देवी

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण

नि र्ण य **दिनांक–17.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 09.03.2015 को परिवादिया रोशनी देवी ने एक परिवाद प्रदर्श पी–1 सुमन वगैरह के विरूद्ध न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत पालड़ी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के सरपंच पद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव 2015 करवाये गये जिसमें सरपंच पद के चुनाव हेतु प्रार्थिया एवं अभियुक्ता संख्या–1 श्रीमती सुमन ने अपना नाम निर्देशन पत्र दिनांक 17–01–2015 को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कियें, जिन्हे बाद जांच चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिये गये जिसमें अभियुक्ता संख्या–1 को आलमारी चुनाव चिन्ह तथा प्रार्थिया को बैट चुनाव चिन्ह मिला तथा दिनांक 18–01–2015 को चुनाव सम्पन्न होकर परिणाम घोषित कर अभियुक्ता संख्या–1 को विजयी घोषित कर दिया। पंचायत चुनाव 2015 हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अलग–अलग पंचायतों के लिए वर्गवार आरक्षण का प्रावधान था जिसमें पालड़ी ग्राम पंचायत का सरपंच पद अनुसूचित जाति वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए आरक्षित था तथा साथ ही सरपंच पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई थी जो कम से कम से आठवीं पास होना अनिवार्य था। नामांकन पत्र दाखिल किये जाने के समय अभियुक्ता संख्या–1 ने

अपने नाम निर्देशन फार्म के साथ जो दस्तावेज लगाये जिनमें उसकी आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने की टी०सी० थी जिसके फर्जी होने का संदेह होने पर प्रार्थिया द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को इस बाबत शिकायत कर जांच करने का अनुरोध किया गया लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने राजनैतिक दबाव में आकर उक्त दस्तावेज की जांच बिना करवाये ही अभियुक्ता संख्या–1 के नाम निर्देशन को सही व वैध ठहराते हुए उसे चुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया। प्रार्थिया ने जब रिटर्निंग ऑफिसर से अभियुक्ता संख्या–1 के नाम निर्देशन फॉर्म के साथ लगाये गये दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो पता चला कि फॉर्म के साथ लगायी गयी टी० सी० उसी संस्था द्वारा जारी की गई है जिसके बारे में समाचार पत्रों में लगातार खबर आ रही थी कि कोई एक संस्था जिसका नाम नेशनल बाल विकास शिक्षण समिति है, फर्जी टी०सी० जारी कर रही है। इस पर प्रार्थिया ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा प्रथम के कार्यालय में सम्पर्क किया तो पता चला कि उक्त संस्था को मान्यता ही प्राथमिक स्तर की मिली हुई है जो दिनांक 02–08–1991 को जरिये आदेश जिशिअ./सी./सामान्य/का/ 91/1166 से मिली है तो ऐसी संस्था में अभियुक्ता संख्या–1 को दिनांक 05.07.1989 को कैसे प्रवेश दिया जा सकता था तथा जो टी०सी० जारी की गई है वह दिनांक 06–08–2001 की है तथा उस पर प्रति हस्ताक्षरित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा प्रथम ओमप्रकाश चलका द्वारा दिनांक 16–01–15 को किये गये है जिसमें ना तो उक्त प्रति पर कोई प्राप्ति नम्बर है, ना ही दस्तावेज नम्बर डाले गये है तथा ना ही कार्यालय के डिस्पेच रजिस्टर में इस बाबत इन्द्राजात किये गये हैं। अभियुक्ता संख्या–1 सुमन ने अभियुक्त संख्या–2 व अन्य अभियुक्तगण से षड़यन्त्र रचकर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–3 में वर्णित आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने की टी०सी० की कूटरचना की तथा उक्त कूटरचित दस्तावेज को कपटपूर्वक बेईमानी से नाम निर्देशन फॉर्म के साथ पेश कर असली के रूप में उपयोग किया तथा छल का अपराध किया..... आदि। अतः कानूनी कार्यवाही की जावे। उक्त परिवाद को अंतर्गत धारा 156 (3) दं.प्र.सं. में थाना बलारां में प्रेषित करने पर एफ.आई.आर. संख्या 32/2015 प्रदर्श पी. 28 दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान प्रकरण में आरोप पत्र अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 193 भा०दं०सं० एवं धारा 125 क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में अभियुक्ता सुमन के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिस पर

न्यायालय द्वारा बाद अवलोकन उक्त अभियुक्ता के विरूद्ध उक्त धारा के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्ता को धारा 467 भा०दं०सं० के आरोप से उन्मोचित किया जाकर उक्त अभियुक्ता को धारा 417 विकल्प में धारा 420, 468, 471, 193 भा०दं०सं० एवं धारा 125 क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्ता ने सुन व समझ आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाये व दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये।

4. अभियुक्ता का परीक्षण धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लेखबद्ध किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया व स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाये जाने का कथन करते हुए साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं करना चाहा।

5. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्ता को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जावे जिसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में स्वयं परिवादिया रोशनी देवी एवं अन्य गवाह विनोद कुमार, राजेश कुमार, भंवरसिंह, सवाईराम, महेश कुमार, बाबुलाल, महावीर पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं तथा शेष गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास पाया गया है। अतः अभियुक्ता को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

6. उभयपक्षों के तर्कों–तथ्यों पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि –

1. क्या अभियुक्ता ने आपराधिक षड़यंत्र रचकर दिनांक 17.01.2015 से पूर्व किसी समय, ग्राम पालड़ी में सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए नेशनल बाल विकास शिक्षण समिति, बस डिपो के पास सीकर से दिनांक 06.08.2001 को एस.आर.

नंबर 90 कक्षा आठवीं की फर्जी टी०सी० बेईमानी से तैयार कर प्रवंचना कर स्वयं को अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थी बताते हुए नाम निर्देशन भरकर छल कारित किया गया एवं अभियुक्ता द्वारा छल करने के आशय से नेशनल बाल विकास शिक्षण समिति बस डिपो के पास सीकर से एस.आर. नंबर 90 कक्षा आठवीं की फर्जी टी०सी० की कूटरचना कर कूटरचित दस्तावेज कक्षा आठवीं की टी०सी० को यह जानते हुए कि वह कूटरचित है, असल के रूप में उपयोग में लिया गया व सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए नाम निर्देशन पत्र में सत्य कथन करने के लिए अभिव्यक्त व वैध रूप से आबद्ध स्वयं का आठवीं पास होने की मिथ्या घोषणा की और इस बाबत आठवीं की टी.सी. भी पेश की गई तथा उक्त पंचायत चुनाव में अपने नाम निर्देशन पत्र में आठवीं पास ना होते हुए भी मिथ्या रूप से स्वयं को आठवीं पास बताया अर्थात् गलत/मिथ्या जानकारी दी गई ?

2. यदि हां तो दण्ड की समुचित मात्रा क्या होगी ?

7. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है जिसमें से गवाह पी०ड० 1 रोशनीदेवी जो कि प्रकरण में परिवादिया है, पक्षद्रोही घोषित हुई है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने 2015 में सरपंच का चुनाव लड़ा था। उसके सामने सुमन देवी ने चुनाव लड़ा था। चुनाव उन्होंने सरपंच पद हेतु गांव पंचायत पालड़ी से एस.सी. की सीट पर लड़ा था। उसमें सुमन देवी विजयी हुई थी। चुनाव में खड़ी होने के लिये पात्रता के लिये आठवीं पास होना जरूरी था। सुमन देवी का उसे कोई पता नहीं, वह आठवीं पास थी या नहीं। सुमन देवी ने कहां से टी.सी. बनाई, उसकी टी.सी. सही या गलत थी, वह कुछ नहीं बता सकती। किस संस्था से उसने टी.सी. जारी करवाई, उसे पता नहीं। उसने उक्त घटना की कोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट करवाई जिसका इस्तगासा प्रदर्श पी–1 है जिस पर उसके साईन है। संलग्न शपथ पत्र प्रदर्श पी–2 है जिस पर उसके साईन है। रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–3 व जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय आदेश प्रदर्श पी–4 है। प्रदर्श पी–3 लगायत पी–6 फोटो कॉपियां है जिन पर उसके साईन है जो उसने पेश किये थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि

सुमन देवी ने कक्षा 8 की फर्जी टी.सी. बनाकर चुनाव लड़कर विजयी घोषित हो गई हो। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्ता के इन सुझावों को सही होना स्वीकार किया है कि उसने न्यायलय के माध्यम से प्रदर्श पी–1 पेश किया था परंतु प्रदर्श पी–1 में क्या लिखा है, वह नहीं बता सकती, गांव में राजनैतिक द्वेषता के पेटे उसने वह मुकदमा झूठा दर्ज करा दिया था, उसके पति के कहने पर उसने एक प्रकरण संख्या–05/16 न्यायालय हाजा के समक्ष उनवानी रोशनी बनाम सुमन बाबत चुनाव याचिका अंतर्गत धारा–43 पंचायती राज. अधिनियम 94 सपठित नियम 80 राज. पंचायतीराज (निर्वाचन नियम–1994) के अधीन एक याचिका पेश की थी, उक्त याचिका में वह प्रार्थिया के रूप में पक्षकार थी, उक्त याचिका उसकी न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09–10–2019 को खारिज कर दी थी तथा श्रीमती सुमन के समस्त दस्तावेजात वैद्य रूप से स्वीकार कर लिये थे, उसके द्वारा चुनाव नहीं जीतने के लिये उसने उक्त प्रकरण दर्ज कराया था, श्रीमती सुमन आठवीं पास हो या उसने कहां से पास की हो, वह नहीं बता सकती। उक्त गवाह ने आगे कथन किया है कि उसने उक्त इस्तगासा अपने पति महेश कुमार के कहने से पेश किया था, इसके अंदर लिखी ईबारत की उसे जानकारी नहीं है। उसके शपथ पत्र प्रदर्श पी–2 में क्या लिखा है उसे नहीं पता, उसने तो अपने पति के कहने से उस पर साईन किये थे।

8. गवाह पी०ड० 2 विनोद कुमार प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह पालड़ी गांव का रहने वाला है। 2015 में उसकी मां केशरी देवी ने पालड़ी गांव से उप–सरपंच का चुनाव लड़ा था जिसमें उसकी मां उप–सरपंच बनी थी। उस समय सुमन व रोशनी ने सरपंच का चुनाव लड़ा था, क्योंकि सरपंच की सीट एस.सी. सीट के लिये निर्धारित थी। सरपंच के लिये क्या योग्यता की आवश्यकता होती है, उसे पता नहीं। उस चुनाव में सुमन सरपंच पद के लिये विजयी घोषित हुई थी। सुमन ने अपने चुनाव फॉर्म के साथ क्या दस्तावेज लगाये, उसे नहीं पता। उसकी कक्षा आठ की टी.सी. फर्जी सही थी या नहीं, उसे नहीं पता एवं कौनसी स्कूल से उसने कक्षा आठवीं उत्तीर्ण की, वह नहीं बता सकता। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि सुमन ने कक्षा आठ पास की कूटरचित टी.सी. पेश कर विजयी

घोषित हुई हो।अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्ता के इन सुझावों को सही होना स्वीकार किया है कि उसने किसी के समक्ष कोई आपत्ति उसके हस्ताक्षरों या उसकी स्वयं की उपस्थिति में दर्ज नहीं करवाई थी, श्रीमती सुमन के पास समस्त शैक्षणिक योग्यतायें व एस.सी. का प्रमाण पत्र सही होने के पश्चात निर्वाचन अधिकारी व राजपत्रित अधिकारियों द्वारा उसके नामांकन का परीक्षण करने के पश्चात ही उसे सरपंच पद के उम्मीदवार हेतु योग्य व्यक्ति स्वीकार किया था, वह नहीं बता सकता कि सुमन कौन–कौन सी स्कूलों में पढ़ी तथा वह यह भी नहीं बता सकता कि वह नेशनल बाल शिक्षण समिति में पढ़ी थी या नहीं।

9. गवाह पी०ड० 3 राजेश कुमार प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गांव पंचायत पालड़ी में 2015 के सरपंच के चुनाव की घटना है। उसमें एस.सी. वर्ग के सरंपच प्रत्याशी की सीट आवंटित थी। उस चुनाव में सुमन सरपंच पद पर विजयी घोषित हुई थी। उसके सामने सरस्वती सरपंच पद के लिये प्रत्याशी थी, इसके अलावा उसे पता नहीं। चुनाव के लिये क्या योग्यता थी एवं कौनसी कक्षा पास होना जरूरी था, उसे नहीं पता। किसी ने कहां से फर्जी टी.सी. बनाई, वह नहीं बता सकता है। उसे घटना से कोई लेना–देना नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि सुमन देवी ने कक्षा आठवीं की फर्जी टी.सी. बनाकर सरंपच पद के लिये आवेदन किया हो तथा उसमें जीतकर सरपंच बनकर विजयी घोषित हुई हो। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि श्रीमती सुमन ने कोई फर्जी टी.सी., मार्कशीट नहीं ली और न ही उसकी जानकारी में है और न ही उसने इस बाबत कोई रिटर्निंग अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी से कभी बात की थी। पुलिस वालों ने उसे गांव का आदमी होने के कारण ही गवाह के रूप में संयोजित किया है। उक्त प्रकरण में उसका पूर्व में व आज कोई नाता नहीं है।

10. गवाह पी०ड० 4 इन्द्रकंवर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह साल 2015 में ग्राम पंचायत सिंहासन की सरपंच थी। इस दौरान पुलिस द्वारा सूचना चाहे जाने पर सूचना उपलब्ध कराई थी। पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना मांगने पर जारी पत्र प्रदर्श पी. 10 है। ग्राम पंचायत में रूघनाथ राम नाम का एक व्यक्ति है जिसकी

लड़की का नाम संतोष था जिसकी शादी पालड़ी में हुयी थी। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसके गांव में संतोष एक ही है। प्रदर्श पी. 10 पर जवाब उसका कलमी नहीं है। सुमन पुत्री रूघनाथ राम को जानती है। सुमन के कितने भाई बहिन है, वह नहीं जानती है। वह केवल सुमन को जानती है। वह सुमन को पहले से जानती है।वह सरपंच बनी तब से जानती है। वह सुमन को नहीं जानती संतोष को जानती है। संतोष के संबंध में पुलिस द्वारा मांगी गयी सूचना के जवाब में अलग से संतोष के पहचान से संबंधित दस्तावेज उसने पुलिस को जमा नहीं करवाया था। साल 2015 के सरपंच चुनाव में संतोष ने उसे अपना मत दिया था।

11. गवाह पी०ड० 5 सुशीला ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह साल 2015 में राजकीय बालिका विद्यालय सिंहासन मे प्रधानाध्यापिका के पद पर थी। पत्रावली पर मौजूद रिकॉर्ड प्रदर्श पी. 11 उसने पुलिस को उपलब्ध कराया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। रिकॉर्ड देखकर बताया कि गांव सिहासन की संतोष की पुत्री रूघनाथ ने विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर के अनुसार कक्षा प्रथम में दिनांक 03.09.92 में प्रवेश लिया। दिनांक 30.04.97 को पांचवी कक्षा उत्तीर्ण की तथा सत्र 97–98 छठीं कक्षा में अध्यनरत रहते हुए विद्यालय छोड़ कर गयी जिसकी जन्म दिनांक 08.01.1988 व प्रवेश क्रमांक नंबर 400 है। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसे प्रदर्श पी. 11 जारी करने के लिए आदेश जारी नहीं हुआ था। प्रदर्श पी. 11 में ऊपर वर्णित हिस्सा सी से डी उसके पास नहीं है, न ही वह उपलब्ध करवा सकती है तथा इसमें क्या लिखा हुआ है, वह आज नहीं बता सकती। सुमन पुत्री रघुनाथ साल 2015 में ग्राम पंचायत पालड़ी की सरपंच बनी थी, इसके बारे में जानकारी नहीं है। उसने सुमन की टी.सी. जारी नहीं की थी। विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर में सुमन व संतोष नाम की अनेक लड़कियां अध्यनरत रही है। उसने सुमन पुत्री रघुनाथ का अपने एस.आर. रजिस्टर का क्रमांक उपलब्ध नहीं करवाया था। उसने पुलिस में बयान नहीं दिये थे। प्रदर्श पी. 11 उसने अपनी मर्जी से लिखी है। उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी. 1 का हिस्सा ए से बी **''मैं वर्तमान ..... दिनांक 8.1.1988 है''** पुलिस को नहीं लिखाया था, पुलिस वालों ने कैसे लिख दिया, वह नहीं बता सकती है। वह सुमन व संतोष दोनों को

व्यक्तिशः नहीं जानती है। प्रदर्श पी. 11 उसने अपनी मर्जी से लिखी है। उसने सुमन व संतोष के किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये है। सुमन उसके विद्यालय में पढ़ी हो तो उसे जानकारी नहीं है।

12. गवाह पी०ड० 6 भंवरसिंह प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सुमनदेवी ने चुनाव लड़ा था इसके अलावा वह कुछ नहीं जानता कि सुमन देवी कौनसी क्लास तक पढ़ी लिखी है। उसे घटना की जानकारी नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि सुमन देवी ने कक्षा आठ की फर्जी टी.सी. का उपयोग कर सरपंच पद का चुनाव लड़ा हो। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्ता के इन सुझावों को सही होना स्वीकार किया है कि सुमन देवी ने अपने वैध मतों से सरपंच का चुनाव जीता था, सुमन देवी के सरपंच के फॉर्म की जांच रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा की गई थी जो सही पाया गया था तथा उसके साथ फॉर्म के साथ लगे हुए दस्तावेज की भी जांच हुयी थी वह भी सही पाये गये थे।

13. गवाह पी०ड० 7 सवाईराम प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 17.01.2015 को ग्राम पंचायत पालड़ी में सरपंच पद के चुनाव हेतु रिटर्निंग अधिकारी के रूप में पंचायत पालडी में उसकी ड्यूटी थी। उक्त सरपंच पद हेतु रोशनी व सुमन देवी ने आवेदन किया था। सरपंच चुनाव में उस समय कक्षा आठ पास होना जरूरी था। रोशनी के पास प्राइवेट स्कूल की आठवीं पास टी.सी. थी। उसने सरपंच पद का चुनाव सम्पन्न कराया। उक्त चुनाव में कौन जीता उसे याद नहीं है क्योंकि लंबा समय हो गया है। उसने सारे कागजात विभाग में जमा करवा दिए थे। सरपंच के चुनाव में प्रेस नोट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 12 है। सुमन द्वारा कक्षा आठ के उत्तीर्ण के संबंध में जो टी.सी. पेश की थी वह प्रदर्श पी. 13 है। प्रदर्श पी. 12 कुल छः पृष्ठों में है। सरपंच पद पर विजेता सीट प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 14 व 15 है। सरपंच पद के प्रत्याशी फॉर्म की जांच व फॉर्म सही पाये जाने बाबत उसकी जांच प्रदर्श पी. 16 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह आवंटन प्रदर्श पी. 17 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

सरपंच पद के प्रत्याशी सुमन का नाम निर्देशन पत्र प्रदर्श पी. 18 है जिस पर सुमन देवी व उसके हस्ताक्षर है तथा घोषणा पत्र प्रदर्श पी. 19 है जो कुल चार पृष्ठों में है जिस पर सुमन देवी के हस्ताक्षर है। नाम निर्देशन फॉर्म के संलग्न टी.सी. की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 20 हैं तथा सुमन देवी की वोटर आई.डी. प्रदर्श पी. 21 है। सुमन देवी के एस.सी. होने बाबत प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 22 है। सुमन देवी के राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 23 है। ग्राम पंचायत पालड़ी में सरपंच चुनाव हेतु उनकी ड्यूटी चार्ट प्रदर्श पी. 24 है जिस पर क्रम सं० 45 पर उसका नाम अंकित है तथा सहयोगी पोलिंग पार्टी के कर्मचारी का नाम अंकित है।

14. अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि सुमन देवी ने उसके पास प्रदर्श पी. 20 की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ संलग्न की थी उसके आधार पर उसने फॉर्म की योग्यता निर्धारित की थी। उस समय से पता नहीं था कि सुमन की टी.सी. फर्जी है या नहीं। उसने तो टी.सी. को फोटो कॉपी के आधार पर चुनाव लड़ने हेतु फॉर्म सही माना था तथा उक्त गवाह ने इस सुझाव को भी गलत होना बताया है कि सुमन ने फर्जी टी.सी. के आधार पर चुनाव लड़ा हो व उसने जान–बूझकर जांच न करके उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी हो। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्ता के इन सुझावों को सही होना स्वीकार किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी दस्तावेज प्रदर्श पी. 20 को प्रमाणित करने से पूर्व समस्त दस्तावेज व रिकॉर्ड देख कर ही प्रमाणित करते हैं, प्रदर्श पी. 24 पर उसके कोई हस्ताक्षर नहीं है, सिर्फ मतदान दल के कर्मचारियों के हस्ताक्षर है, उस समय सरपंच प्रत्याशी सरपंच का आठवीं पास होना अनिवार्य है उक्त निर्वाचन आयोग का आदेश पत्रावली में नहीं है, सरपंच प्रत्याशी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष फॉर्म भरा जाता है उसके साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की जांच कर उन दस्तावेजों पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, सरपंच प्रत्याशी सुमन द्वारा जो सरपंच का फॉर्म भरा गया था उसके फॉर्म के साथ संलग्न दस्तावेज पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई दस्तावेज संबंधित आपत्ति नहीं थी।

15. गवाह पी०ड० 8 बाबुलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 2015 में वह उप–रजिस्ट्रार संस्था सीकर के पद पर कार्यरत था। उनके यहां पर जो संस्था

रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन करती है, उसका नियमानुसार रजिस्ट्रेशन किया जाता है। नेशनल बाल विकास शिक्षण समिति जिला सीकर को 1987 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जो प्रदर्श पी. 3 है। **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी. 3 उसका जारी किया हुआ नहीं है, न ही प्रदर्श पी. 3 का असल उसके सामने है। उसके पुलिस में बयान हुए थे या नहीं उसे याद नहीं है। यह भी उसको पता नहीं है कि पुलिस ने उससे कोई दस्तावेज जप्त व तलब किये थे या नहीं।

16. गवाह पी०ड० 9 महेश कुमार प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके समक्ष कोई जप्ती नहीं की थी। उसका घटना से कोई लेना देना नहीं है। उसके पास पुलिस का नोटिस आया था इसलिए वह न्यायालय में आया है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 26 पर उसके हस्ताक्षर है जो उसके समक्ष नहीं बनाई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया है कि मुलजिमा सुमन उसकी पत्नी लगती है तथा उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 26 उसके समक्ष बनाई हो और उसने पढ़ लिखकर सही समझकर हस्ताक्षर किये हो।

17. गवाह पी०ड० 10 बाबुलाल प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके समक्ष कोई जप्ती नहीं की थी। उसका घटना से कोई लेना देना नहीं है। उसके पास पुलिस का नोटिस आया था इसलिए वह न्यायालय में आया है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 26 पर उसके हस्ताक्षर है जो उसके समक्ष नहीं बनाई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 26 उसके समक्ष बनाई हो और उसने पढ़ लिखकर सही समझकर हस्ताक्षर किये हो।

18. गवाह पी०ड० 11 महावीर प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि कब की घटना है, किसने फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ा वह कुछ नहीं जानता। उसको किसी से लेना देना नहीं है। वह पुलिस के नोटिस से आया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए तथा इस सुझाव को भी गलत होना

बताया है कि सुमन ने कक्षा आठ की फर्जी टी.सी. बनाकर चुनाव लड़ा हो। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसकी आठवीं की मार्कशीट जो कि जिला शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश चल्का द्वारा 16.01.2015 को जारी की थी, वह पूर्णतया वैध थी। उक्त मार्कशीट की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सुमन ने चुनाव जीता था। जिला शिक्षा अधिकारी ने उक्त टी.सी. की जांच करके ही अपने हस्ताक्षर करके जारी की थी।

19. गवाह पी०ड० 12 रणवीर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 21.04.2015 को थाना बलारां में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए उस रोज मु०नं० 32/15 का अनुसंधान उसके जिम्मे हुआ। दौराने अनुसंधान उसने सरपंच ग्राम पंचायत सिंहासन में रघुनाथ जाति मेघवाल नाम के कितने व्यक्ति है तथा ग्राम सिंहासन के व्यक्ति रघुनाथ की पुत्री जिसकी शादी ग्राम पालड़ी के महेश कुमार के साथ हुई है उसका ग्राम सिंहासन में क्या नाम था, के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी. 10 है जिस पर सरपंच की रिपोर्ट, सरपंच इन्द्रकंवर की रिपोर्ट व उसके हस्ताक्षर है। शेष अनुसंधान व चार्जशीट तत्कालीन थानाधिकारी मंगलाराम ने पेश की थी। इस्तगासा प्रदर्श पी. 1 पर कार्यवाही पुलिस व थानाधिकारी मंगलाराम के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी. 28 है जिस पर थानाधिकारी मंगलाराम के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्ता के इन सुझावों को सही होना स्वीकार किया है कि दिनांक 21.04.2015 को सिंहासन गांव की सरपंच इन्द्रकंवर थी, इस संबंध में पृथक से कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया है, ग्राम पंचायत सिंहासन के ग्राम सेवक को उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस इस आशय का नहीं दिया गया था कि रघुनाथ मेघवाल नाम के कितने व्यक्ति है तथा रघुनाथ मेघवाल की पुत्री ग्राम पालड़ी के महेश कुमार के साथ शादी हुई है, उसका ग्राम सिंहासन में क्या नाम है, उसके द्वारा ऊपर वर्णित नोटिस में ग्राम सेवक से कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किए है, रघुनाथ पुत्र दौलाराम के कितने पुत्र व पुत्रियां है इस बाबत उसके द्वारा सरपंच के अलावा किसी भी राजकीय एजेंसी व ग्रामसेवक से कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया गया था, प्रदर्श पी. 10 पर एच.एम. के हस्ताक्षर नहीं है, प्रदर्श पी. 10 उसके द्वारा एच.एम. को प्रतिप्रेषित किया गया हो, इसका कोई उल्लेख नहीं है, उसने सरपंच इन्द्रकंवर के बयान नहीं लिये थे, प्रदर्श पी. 10 पर ए से बी जवाब

लिखा है वह किसने लिखकर दिया है, वह नहीं बता सकता, उसने प्रदर्श पी. 10 के अलावा इस प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया है।

20. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि **क्या विवादित दस्तावेज टी.सी. प्रदर्श पी. 13 कूटरचित है व अभियुक्ता द्वारा उक्त दस्तावेज की कूटरचना की गई है ?** इस संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत की गई टी.सी. प्रदर्श पी. 13 के रूप में मौजूद है। इस टी.सी. में अभियुक्ता सुमन का आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना दर्शित होता है। टी.सी. पर प्रति–हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांक 16.01.2015 को किये गये हैं। नेशनल बाल विकास शिक्षण समिति, सीकर को शिक्षण की मान्यता प्रदान की हुई है। इस संबंध में स्वयं परिवादिया पी०ड० 1 रोशनी देवी ने पक्षद्रोही घोषित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सुमन देवी ने कहां से टी.सी. बनायी, उसकी टी.सी. सही है या गलत है, वह कुछ नहीं बता सकती। उक्त गवाह ने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को भी गलत होना बताया है कि सुमन देवी ने कक्षा आठ की फर्जी टी.सी. बनाकर चुनाव लड़कर विजयी घोषित हुई हो। गवाह ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उसने इस्तगासा अपने पति महेश कुमार के कहने से पेश किया था, इसके अंदर लिखी इबारत की उसे जानकारी नहीं है। राजनैतिक द्वेषता के पेटे उसने मुकदमा झूठा दर्ज करा दिया था। गवाह पी०ड० 4 इन्द्र कंवर अपने मुख्य परीक्षण में प्रदर्श पी. 10 जारी करना व उस पर अपने हस्ताक्षर होना बताती है परंतु उक्त गवाह अपनी प्रतिपरीक्षा में प्रदर्श पी. 10 पर जवाब ए से बी उसका स्वयं का कलमी नहीं होना बताती है। गवाह पी०ड० 5 सुशीला ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रदर्श पी. 11 पुलिस को उपलब्ध कराने की बात कही है। प्रदर्श पी. 11 का अवलोकन किया जावे तो उसमें इस तथ्य का अंकन है कि ग्राम सिंहासन की संतोष पुत्री रघुनाथ ने विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर अनुसार कक्षा प्रथम में दिनांक 03.02.1992 को प्रवेश लिया और 30.04.97 को कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण कर ली व सन् 1997–98 में कक्षा छः अध्ययनरत विद्यालय छोड़कर चली गई। विद्यालय प्रवेशांक नंबर 400 है और जन्म दिनांक 08.01.1988 है। उक्त दस्तावेज में इस तथ्य का भी अंकन है कि ग्राम सिंहासन की सुमन पुत्री रघुनाथ ने उक्त विद्यालय में एस.आर. रजिस्टर अनुसार

अध्ययन नहीं किया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दस्तावेज में संतोष पुत्री रघुनाथ के विद्यालय में प्रवेश लेने तथा विद्यालय छोड़कर चले जाने का अंकन है ना ही अभियुक्ता सुमन के। अभियुक्ता सुमन व संतोष एक ही व्यक्ति हो इस संबंध में भी अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त की पहचान संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में अभियुक्ता सुमन के ही संतोष होने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है। गवाह पी०ड० 8 बाबुलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि नेशनल बाल विकास शिक्षण समिति जिला सीकर को 1987 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जो प्रदर्श पी. 3 है परंतु गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में प्रदर्श पी. 3 स्वयं द्वारा जारी नहीं किये जाने का कथन किया है। गवाह पी०ड० 12 रणवीर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने प्रदर्श पी. 10 के अलावा इस प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया है। गवाह पी०ड० 2 विनोद कुमार, पी०ड० 3 राजेश कुमार, पी०ड० 6 भंवर सिंह, पी०ड० 7 सवाईराम, पी०ड० 9 महेश कुमार, पी०ड० 10 बाबुलाल, पी०ड० 11 महावीर पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं।

21. जहां तक अभियुक्ता सुमन द्वारा विवादित दस्तावेज की कूटरचना करने का प्रश्न है तो इस संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि यदि यह अभिकथन किया जाता है कि दस्तावेज कूटरचित है तो ऐसे आरोप को साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन द्वारा यह साबित किया जाए कि अभियुक्त ने ही प्रश्नगत दस्तावेज की रचना की है। **धारा 463 भा०दं०सं०** में कूटरचना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि**'' कूटरचना ''** – जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करें या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूटरचना करता है।

464. मिथ्या दस्तावेज रचना – उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रचता है–

पहला – जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से–

(क) किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है;

(ख) किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख को या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के भाग को रचित या सम्प्रेषित करता है;

(ग) किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रानिक चिह्नक करता है;

(घ) किसी दस्तावेज का निष्पादन या इलेक्ट्रानिक चिह्नक की प्रमाणिकता द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है,

कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलेक्ट्रानिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, सम्प्रेषण या संयोजन ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन या निष्पादन, सम्प्रेषण या संयोजन न होने की बात वह जानता है; अथवा

दूसरा – जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन, उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के रचित, निष्पादित या इलेक्ट्रानिक चिह्नक से संयोजित किये जाने के पश्चात् उसे रद्द करने द्वारा या अन्यथा, विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है; अथवा

तीसरा – जो किसी व्यक्ति द्वारा, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की विषयवस्तु को परिवर्तन के रूप को, चित्तविकृति या मत्तता की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता या उस प्रवंचना के कारण, जो उससे की गई है, जानता नहीं है, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को बेईमानी से, या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना या इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर अपने इलेक्ट्रानिक चिह्नक किया जाना कारित करता है।

22. उक्त परिभाषा के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया जावे

तो अभियुक्ता को विवादित दस्तावेज की कूटरचना के लिए दायी बनाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि विवादित दस्तावेज टी.सी. प्रदर्श पी. 13 पर प्रधानाचार्य राजकीय बाल विकास शिक्षण समिति बस डिपो के पास सीकर के हस्ताक्षर अभियुक्ता ने किये हो परंतु इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा विवादित दस्तावेज की एफ.एस.एल. जांच करवायी जाकर एफ.एस.एल. रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में विवादित टी.सी. जारी करने वाले प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है। संस्था जिसके द्वारा विवादित टी.सी. जारी की गई, उक्त संस्था को मान्यता प्राप्त थी अथवा नहीं, इस संबंध में भी सक्षम प्राधिकारी की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत कर उन्हें प्रमाणित नहीं करवाया गया है। अभियुक्ता सुमन ने उक्त विद्यालय में प्रवेश लिया अथवा नहीं एवं वहां अध्ययनरत रही या नहीं, इस संबंध में भी संबंधित संस्थान के एस.आर. रजिस्टर आदि प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार यह विशिष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता है कि विवादित दस्तावेज टी.सी. कूटरचित हो व अभियुक्ता द्वारा उक्त दस्तावेज की कूटरचना की गई हो। जब विवादित दस्तावेज कूटरचित होना प्रमाणित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज को उपयोग में लिया जाना व दस्तावेज के आधार पर प्रवंचना कारित किये जाने संबंधी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण किया जाना आवश्यक दर्शित नहीं होता है।

23. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्ता द्वारा आपराधिक षड़यंत्र रचकर परिवादिया के साथ छल किये जाने, विशिष्ट रूप से विवादित दस्तावेज की कूटरचना किये जाने, कूटरचित दस्तावेज को असल के रूप में उपयोग में लिया जाना व आठवीं पास होने की मिथ्या घोषणा किया जाना एवं आठवीं पास बताकर मिथ्या जानकारी देने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है जिससे अभियुक्ता सुमन को धारा 417 विकल्प में धारा 420, 468, 471, 193 भा०दं०सं० एवं धारा 125 क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाना उचित दर्शित होता है।

:: आदेश ::

24. परिणामस्वरूप अभियुक्ता **सुमन उर्फ संतोष पत्नी महेश कुमार उम्र 30 वर्ष निवासी पालड़ी थाना बलारां जिला सीकर** को धारा 417 विकल्प में धारा 420, 468, 471, 193 भा०दं०सं० एवं धारा 125 क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्ता की नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलकें निरस्त किये जाते हैं।

(सोनल पारीख)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

25. निर्णय व आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनल पारीख)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर